

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in)  
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 180]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 15 अप्रैल 2014—चैत्र 25, शक 1936

उच्च शिक्षा विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 15 अप्रैल 2014

क्र. एफ. 1-22-2009-अड़तीस-1.—राज्य शासन की अधिसूचना क्रमांक एफ. 1-22-2009-1-अड़तीस, दिनांक 27 फरवरी 2009 आदेश क्रमांक 1-22-2009-1-अड़तीस, दिनांक 24 फरवरी 2014 एवं आदेश क्रमांक 1-22-2009-1-अड़तीस, दिनांक 11 मार्च 2014 द्वारा मध्यप्रदेश शैक्षणिक सेवा (महाविद्यालयीन शाखा) भरती नियम, 1990 के नियम 11 के उपनियम (7) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम जोड़ा गया है :—

“(8) उन अभ्यर्थियों को, जिन्होंने मध्यप्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में अतिथि विद्वान के रूप में कार्य किया है तथा जिन्होंने सहायक प्राध्यापक, क्रीड़ा अधिकारी या ग्रंथपाल के स्वीकृत पदों पर सीधी भरती के लिए आवेदन किया है, उनके द्वारा अतिथि विद्वान के रूप में की गई वास्तविक कालावधि तक अधिकतम आयु-सीमा में छूट दी जाएगी और वे कार्य अनुभव के आधार पर 4 अतिरिक्त वरीयता अंक प्रतिवर्ष के मान से अधिकतम 20 अंक की सीमा तक प्राप्त करेंगे. अनुभव के आधार पर वरीयता अंक अंतिम मेरिट में जोड़े जावेंगे.”

2. राज्य शासन उक्त उपनियम के स्थान पर निम्नानुसार स्थापित करता है :—

“(8) उन अभ्यर्थियों को, जिन्होंने मध्यप्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में सहायक प्राध्यापक अथवा क्रीड़ा अधिकारी या ग्रंथपाल का कार्य अतिथि विद्वान के रूप में किया है तथा जिन्होंने उसी विषय के सहायक प्राध्यापक अथवा क्रीड़ा अधिकारी या ग्रंथपाल के स्वीकृत पदों पर सीधी भरती के लिए आवेदन किया है, उनके द्वारा अतिथि विद्वान के रूप में किए गए कार्य के आधार पर शासन द्वारा निर्धारित मापदण्ड अनुसार प्रति सत्र अधिकतम 4 अतिरिक्त वरीयता अंक के मान से अधिकतम 20 अंक की सीमा तक वरीयता अंक प्राप्त करेंगे. वरीयता अंक अंतिम मेरिट सूची तैयार करते समय जोड़े जाएंगे. ऐसे अतिथि विद्वानों को कार्य अनुभव के आधार पर शासन द्वारा निर्धारित मापदण्ड अनुसार आयु सीमा में अधिकतम 5 वर्ष की छूट दी जाएगी जो सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्र अनुसार छूट की अधिकतम आयु सीमा से अधिक नहीं होगी.”

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
सी. बी. पड़वार, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 15 अप्रैल 2014

क्र. एफ. 1-22-2009-अड़तीस-1.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ. 1-22-2009-अड़तीस-1, दिनांक 15 अप्रैल 2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
सी. बी. पड़वार, उपसचिव.

Bhopal, the 15th April 2014

No. F1-22-2009-XXXVIII-1.—By the notification of State Government F1-22-2009-1-XXXVIII, dated 27<sup>th</sup> February 2009, Order No. 1-22-2009-1-XXXVIII, dated 24<sup>th</sup> February 2014 and Order No. 1-22-2009-1-XXXVIII, dated 11<sup>th</sup> March 2014 the following sub-rule has been added after sub-rule (7) of Rule 11 of Madhya Pradesh Educational Service (Collegiate Branch) Recruitment Rules, 1990, namely :—

"(8) Those candidates who have worked as a guest faculty in Government colleges of Madhya Pradesh and who have applied for direct recruitment on the sanctioned post of Assistant Professor, Sports officer or Librarian, shall be given a relaxation in the maximum age limit upto the actual period rendered by them as guest faculty and shall get additional weightage of 4 additional merit marks, on the basis of work experience for each complete year, subject to a maximum limit upto 20 marks. The merit marks based on experience shall be added in the final merit.

2. The State Government, hereby, substituted the said sub-rule with the following, namely :—

"(8) Those candidates who have worked as a Guest faculty in Government colleges of Madhya Pradesh as Assistant Professor or Sports officer or Librarian, and who have applied for direct recruitment on the sanctioned post of Assistant Professor of the same subject or Sports officer or Librarian, shall get the maximum 4 additional merit marks for each session based on their work as guest faculty, as per criteria decided by Government and subject to a maximum limit upto 20 merit marks. The merit marks shall be added at a time of preparation of final merit list. Such guest faculties shall be given a relaxation in the maximum age limit upto 5 years based on work experience, as per criteria decided by Government, subject to the maximum age limit shall not exceed according to General Administration Department circulars issued from time to time.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,

C. B. PADWAR, Dy. Secy.